नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 10
दि. 10.10.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

ज़हरीले सिरप कांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, देशभर में फार्मा कंपनियों की जांच शुरू

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 25 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीर जनस्वास्थ्य संकट मानते हुए अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देशभर में कफ सिरप बनाने वाली सभी कंपनियों की जांच और सैंपल टेस्टिंग का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इन कंपनियों की पूरी सूची तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी क्वालिटी और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा सके।

जांच के शुरुआती नतीजों के बाद तीन दवाओं — कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश-टीआर और रिलाइफ सिरप — की बिक्री और उत्पादन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को भी दी है, क्योंकि जहरीले सिरप की यह घटना अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन चुकी है।

देश के सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी दवा के उत्पादन से पहले उसके कच्चे माल (Raw Material) और अंतिम उत्पाद (Finished Product) की अनिवार्य रूप से टेस्टिंग की जाए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कहा है कि कई कंपनियां हर बैच की जांच नहीं कर रहीं, जिससे दवाओं की गुणवत्ता में गंभीर त्रुटियां आ रही हैं।

मध्य प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम (SIT) ने बुधवार रात चेन्नई में श्रीसन फार्मा कंपनी के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। यही कंपनी जहरीला कोल्ड्रिफ सिरप बनाती थी, जिससे बच्चों की मौतें हुईं। SIT ने कंपनी के ऑफिस और फैक्ट्री से उत्पादन रिकॉर्ड, कच्चे माल के बिल और तैयार सिरप के नमूने जब्त किए हैं।

तमिलनाडु सरकार की जांच में इस फैक्ट्री की हालत देखकर अधिकारी दंग रह गए। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट में 350 से ज्यादा गंभीर खामियां मिलीं, जिनमें कई "क्रिटिकल" और "मेजर" श्रेणी में रखी गईं। 7 अक्टूबर को तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पांच दिन में जवाब मांगा।

जांच में यह खुलासा हुआ कि कांचीपुरम जिले के सुंगुवर्चत्रम स्थित यूनिट से जब्त कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) में नॉन-फार्माकॉपिया ग्रेड प्रोपीलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया था, जो डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था। दोनों ही तत्व किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले रसायन हैं। चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में जांच के बाद रिपोर्ट में पाया गया कि सिरप में 48.6% DEG की मात्रा थी, जिससे इसे 'Not of Standard Quality' घोषित किया गया।

तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने यह मामला तुरंत CDSCO और स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा, जिसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

वकील विशाल तिवारी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अदालत शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि दवा उद्योग में लापरवाही को रोकने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या किसी विशेषज्ञ समिति से जांच कराना जरूरी है। सरकार ने सभी राज्यों को ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब तक 18 राज्यों ने इसमें शामिल होकर अपने दवा उत्पादन लाइसेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी कंपनी की गतिविधि पर पारदर्शी निगरानी रखी जा सके।

अब केंद्र सरकार निम्न बड़े कदम उठाने की तैयारी में है —

- नए और पुराने दोनों प्रकार के लाइसेंस के लिए संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा फैक्ट्री जांच अनिवार्य की जाएगी।
- दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की खरीद केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही की जा सकेगी।
- राज्यों को निर्देश दिया गया है कि दवा बाजार में आने से पहले उसकी गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाए।
- देश में कफ सिरप बनाने वाली सभी कंपनियों का पूरा ब्यौरा केंद्र को देना अनिवार्य किया गया है।

सरकार का यह रुख संकेत देता है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान न केवल दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में एक कठोर कदम है, बल्कि भविष्य में दवा उद्योग में मानव जीवन से खिलवाड़ रोकने की ठोस शुरुआत भी मानी जा रही है।

शाहरुख खान की चैट लीक विवाद पर बोले समीर वानखेड़े — "कोर्ट में सबूत दिए थे, लीक नहीं किया"

(जीएनएस)। मुंबई। एक बार फिर पूर्व एनसीबी अधिकारी और मौजूदा आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े सुर्खियों में हैं। अभिनेता शाहरुख खान के साथ उनकी कथित व्हाट्सऐप चैट के लीक होने के मामले में अब वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कोई चैट लीक नहीं की, बल्कि वो चैट तो अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई थी।

वानखेड़े ने एचटी सिटी से बातचीत में कहा, "मैंने खुद यह चैट बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका के दौरान सबूत के रूप में दी थी। जब मैंने यह दस्तावेज कोर्ट में जमा किए, तो उसे बाहर लीक करने का कोई कारण नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 65B के तहत डिजिटल साक्ष्य का प्रमाणपत्र भी दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि डेटा असली और विश्वसनीय है।

यह पूरा विवाद मई 2023 में शुरू हुआ था, जब CNBC-TV18 ने शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच हुई कथित व्हाट्सऐप चैट को प्रकाशित किया था। यह चैट उस समय की बताई गई थी जब अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज़ ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, उस चैट में शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े से भावुक अपील की थी। उन्होंने लिखा था,

"आप अच्छे इंसान हैं, कृपया मेरे बेटे पर रहम करें। वो टूट जाएगा। मैं सिर्फ एक पिता के तौर पर आपसे विनती कर रहा हूं कि उसे सुधारें, तोड़ें नहीं।"

उन्होंने आगे कहा था, "कृपया उसे जेल में मत रहने दीजिए। वो अंदर से खत्म हो जाएगा। मैं आपके काम की इज्जत करता हूं, बस उस पर रहम कीजिए।"

यह मामला उस समय और भी संवेदनशील हो गया था, क्योंकि एनसीबी ने बाद में, मई 2021 में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी। इस फैसले के बाद कई सवाल उठे कि आखिर एनसीबी की कार्रवाई के पीछे क्या मंशा थी और किन परिस्थितियों में आर्यन को गिरफ्तार किया गया था।

समीर वानखेड़े ने अब इस विवाद पर कहा, "मामला कोर्ट में है, बहस के दौरान सबकुछ सामने आ जाएगा। जब सबूत अदालत के पास हैं, तो कुछ लीक करने की जरूरत ही क्या थी? और उन चैट्स में ऐसा गलत क्या है?"

गौरतलब है कि सीबीआई ने 2023 में समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। आरोप यह था कि उन्होंने आर्यन खान केस में शाहरुख खान से उगाही की कोशिश की थी। जुलाई 2025 में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि जांच तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। समीर वानखेड़े का नाम उस वक्त पूरे देश में चर्चा में आया था जब उन्होंने 2021 में मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस की जांच की थी। उस दौरान उन्हें एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में लगे उगाही और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। नतीजतन, उन्हें उसी साल एनसीबी से हटा दिया गया था।

अब एक बार फिर जब उनकी पुरानी चैट सुर्खियों में आई है, वानखेड़े ने दोहराया है कि "सच्चाई कोर्ट में है, न कि सोशल मीडिया पर।"

गरबा हिंसा पर चला बुलडोजर, गांधीनगर में 186 अवैध इमारतें ध्वस्त

(जीएनएस)। गांधीनगर। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा उत्सव पर पत्थरबाजी करने वालों पर सरकार का बुलडोजर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में हुई हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए दंगाइयों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने का आदेश दिया है। गुरुवार 9 अक्तूबर की सुबह से ही प्रशासन ने इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया।

जानकारी के मुताबिक पहले चरण में प्रशासन कुल 186 अवैध कब्जों को गिरा रहा है। इस कार्रवाई के लिए इलाके में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की विरोध स्थिति को संभाला जा सके। प्रशासन ने 20 जेसीबी मशीनें और 50 ट्रक लगाए हैं ताकि कब्जों को तेजी से हटाया जा सके और जमीन को पूरी तरह खाली कराया जा सके।

यह मामला 24 सितंबर की रात का है जब नवरात्रि के मौके पर बहियाल गांव में आयोजित गरबा कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने हिंसा और पथराव किया था। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की, कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार इस झड़प में लगभग 200 लोग शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने अब तक करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है।

गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया कि जिन 186 संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनमें अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और इनमें से लगभग 50 आरोपी पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं। कार्रवाई उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, पंचायत अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई गैरकानूनी निर्माण और अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी।

सरकार का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि गरबा जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

बंगाल की सियासत में भूचाल: केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा—एसआईआर से हट सकते हैं 1.2 करोड़ 'अवैध मतदाता'

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर लगातार हमलावर हैं, वहीं भाजपा की ओर से अब एक बड़ा दावा सामने आया है जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 1.2 करोड़ "अवैध मतदाता" हटाए जा सकते हैं।

शांतनु ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि दोहरे नाम, फर्जी पहचान और गैरकानूनी तरीके से जोड़े गए मतदाताओं को हटाया जा सके। उनके अनुसार, प्राथमिक रिपोर्टों से यह संकेत मिल रहा है कि मतदाता सूची में करोड़ों ऐसे नाम हैं जो या तो दोहराए गए हैं या जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं। ठाकुर ने कहा कि भाजपा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर है, इसलिए ऐसे अवैध नामों को हटाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है।

इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसे "राजनीतिक चाल" करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बंगाल के मतुआ और शरणार्थी समुदायों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग के इस कदम का सबसे बड़ा खामियाजा उन्हीं समुदायों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद नागरिकता और मताधिकार हासिल किया है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी नागरिक को अनुचित तरीके से मतदाता सूची से हटाया गया, तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वह केंद्र के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि "एसआईआर के नाम पर राज्य के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, न कि दिल्ली के इशारों पर।" ममता ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ऐसे किसी भी प्रयास को नाकाम करेगी जो उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा।

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि टीएमसी डर का माहौल बना रही है क्योंकि उसे पता है कि यदि फर्जी मतदाता हट गए, तो उसके पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ेगा। भाजपा का दावा है कि बंगाल में वर्षों से तुष्टिकरण की राजनीति के तहत मतदाता सूचियों में लाखों अवैध नाम जोड़े गए हैं, जिन्हें हटाना अब जरूरी हो गया है।

आरएसएस के वरिष्ठ नेता पी. ई. बी. मेनन का 86 वर्ष की आयु में निधन, संघ परिवार में शोक की लहर

(जीएनएस)। कोच्चि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता और केरल प्रांत के पूर्व संघचालक पी. ई. बी. मेनन का 86 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। कोच्चि के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। मेनन पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे और लगातार उपचाराधीन थे।

संघ के सूत्रों ने बताया कि मेनन का आरएसएस से जुड़ाव छह दशकों से अधिक पुराना था। वे संगठन के सबसे सम्मानित और अनुशासनप्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे। उन्होंने न केवल केरल में संगठन को मजबूत किया, बल्कि दक्षिण भारत में संघ के प्रसार और वैचारिक विस्तार में भी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में संघ ने सामाजिक समरसता, सेवा कार्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। मेनन का जीवन सादगी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता था। वे लंबे समय तक संघ के प्रांत संघचालक रहे और संगठन के कई प्रमुख निर्णयों में उनकी गहरी भूमिका रही। वे शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे, विशेषकर युवा वर्ग में राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार के लिए उन्होंने कई पहलें कीं।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मेनन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि "मेनन जी का जाना संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया और उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।" संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की और उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त बताया।

शाम तक संघ कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोच्चि स्थित अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों ने बताया कि मेनन का अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक स्थान पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन पर लगाई रोक, भाजपा में दलबदल की आशंका बनी मुख्य वजह

(जीएनएस)। पणजी। गोवा की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है, क्योंकि अब तक यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के विधायक भविष्य में फिर से भाजपा में शामिल नहीं होंगे।

यह बयान ऐसे समय आया है जब गोवा आप के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कलंगुटकर ने बुधवार को अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के विधानसभा चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया है। कलंगुटकर के अनुसार, यह रणनीति विपक्षी वोटों को विभाजित करेगी और अंततः भाजपा को फायदा पहुंचाएगी।

गोवा आप के अध्यक्ष अमित पालेकर ने गुरुवार को इस विषय पर बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी का रुख पूरी तरह साफ है—"हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कई दौर की चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कांग्रेस के विधायकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पालेकर ने कहा, "पिछले कई वर्षों में कांग्रेस के नेता और विधायक लगातार दल बदलते रहे हैं। यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर वे चुनाव जीत भी जाएं, तो भाजपा में शामिल नहीं होंगे।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अब भी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है जिनका भाजपा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। पालेकर ने कहा कि "हमारा लक्ष्य भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाना है, न कि किसी ऐसे दल से गठबंधन करना जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा दे।" अमित पालेकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फ्रांसिस्को सरडिन्हा के एक बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को 2027 में बहुमत नहीं मिलता, तो उसके विधायक फिर से भाजपा में चले जाएंगे। पालेकर ने इसे "कांग्रेस की मानसिकता का खुला प्रमाण" बताया और कहा कि आप किसी भी तरह भाजपा सरकार बनने में योगदान नहीं देना चाहती। वर्तमान में गोवा विधानसभा में आप के दो विधायक और कांग्रेस के तीन विधायक हैं। 40 सदस्यीय विधानसभा में आप पहली बार 2022 के चुनाव में प्रवेश कर सकी थी। लेकिन उसी चुनाव के बाद कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिससे विपक्ष बिखर गया। इससे पहले भी, जुलाई 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में चले गए थे, जिसने गोवा की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल दिया था। आप के इस नए रुख से गोवा की राजनीतिक तस्वीर और दिलचस्प हो गई है। जहां कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करती है, वहीं आप स्पष्ट रूप से अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव तक विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो पाते हैं या यह दलबदल का सिलसिला राज्य की राजनीति को फिर से अस्थिर कर देता है।

टीवीके प्रमुख विजय के घर पर झूठी बम धमकी, आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। चेन्नई। अभिनेता से राजनेता बने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के संस्थापक विजय के घर पर बम लगाए जाने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान शाबिक (37 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसने बुधवार देर रात पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन करके दावा किया था कि विजय के निलंकरई स्थित आवास में बम लगाया गया है।

फोन कॉल मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को मौके पर भेजा। रात तीन बजे से तलाशी अभियान शुरू हुआ। पहले घर के बाहर और आस-पास के क्षेत्रों में बारीकी से जांच की गई, इसके बाद जब विजय जागे तो उन्होंने पुलिस को घर के अंदर तलाशी लेने की अनुमति दी। करीब चार घंटे तक चली जांच के बाद सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर पुलिस ने पुष्टि की कि वहां कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि धमकी पहले ईमेल के जरिए मिलने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि यह एक फोन कॉल थी। आरोपी शाबिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या किसी के इशारे पर यह कॉल की गई थी। चेन्नई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में शहर की कई प्रसिद्ध हस्तियों को झूठे धमकी भरे संदेश या ईमेल मिल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें एक हॉटमेल अकाउंट से कई बार ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों को निशाना बनाया गया है।

संपादकीय

दुर्घटना रोकने को तय हो जवाबदेही

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं।

यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में घुल गई।

शिक्षकों की बाट जोहते सरकारी स्कूल

> “ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त शिक्षक सहयोग के बिना छात्रों से अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा घटती है, वास्तव में जो उनके सर्वांगीण विकास में काफी हद तक सहायक बन सकती थीं।

शिक्षा ग्रहण करना भारत के हर बच्चे का अधिकार है किंतु सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या देशभर के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के तहत, हरियाणा के सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सर्वाधिक चिंतनीय अवस्था नूंह ज़िले की है, जहां 901 विद्यालयों में 3,425 शिक्षकों के पद रिक्त पाए गए। विधानसभा के हालिया मानसून सत्र में सरकार ने भी प्रदेश के 14,295 विद्यालयों में 12,000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त होने की बात स्वीकारी।

समूचे तौर पर सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था का संज्ञान लें तो भारत के हर राज्य में कमोबेश यही स्थिति है। दिसंबर, 2023 में, केंद्र सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 7,22,413 तथा 1,24,262 अध्यापकों की कमी बताई थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शिक्षक-पद खाली हैं।

गहनतापूर्वक विचारें तो यह अभाव मात्र एक संख्या न होकर समूची शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर करने वाला संकट है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में सामाजिक, भावनात्मक तथा शारीरिक विकास के साथ-साथ शैक्षणिक उपलब्धि भी शामिल होती है। पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में जहां व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई आती है, वहीं छात्र समग्र विकास के अवसरों जैसे पाठ्येतर गतिविधियों, मार्गदर्शन आदि से वंचित रह जाते हैं। स्पष्ट शब्दों में, शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी बाधा है, जिसके सीखने के परिणामों, समानता तथा समग्र छात्र

विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त शिक्षक सहयोग के बिना छात्रों से अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा घटती है, वास्तव में जो उनके सर्वांगीण विकास में काफी हद तक सहायक बन सकती थीं।

Advertisement

शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली यह कमी छात्रों की संख्या में गिरावट आने का सबब भी बनती देखी गई। अनेक बार शिक्षकों की कमी के चलते शैक्षणिक सत्र समय पर पूरे नहीं हो पाते। हाशिये पर रहने वाले समुदायों, ख़ासकर ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से वंचित इलाकों पर इसका असमान रूप से विशेष असर देखने में आया। इन क्षेत्रों के छात्रों की योग्य शिक्षकों तक पहुंच सीमित होने के कारण शैक्षिक असमानताएं अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार, भारत में पाठशाला न जाने वाले 1.9 करोड़ बच्चों में से बहुतेरे इन्हीं वंचित समुदायों में आते हैं। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक असमानताएं उपजाने के साथ यह कमी शिक्षा तंत्र पर वित्तीय दवाब भी बढ़ा देती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की एक रिपोर्ट अनुसार, कई राज्यों में शिक्षक 50-60 या उससे ज़्यादा छात्रों की कक्षाओं का प्रबंधन करते हैं। हरियाणा के नूंह, पलवल तथा यमुनानगर जैसे ज़िलों में 80-100 छात्र पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक नियुक्त है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के मुताबिक़, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात क्रमानुसार 1:30 तथा 1:35 होना चाहिए। अतिरिक्त कार्यभार जहां शिक्षकों की थकान बढ़ाता है, वहीं मनोबल गिराता है। स्थिति के परिणामस्वरूप रटंत विद्या पर निर्भरता बढ़ने के कारण छात्रों की रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक सोच ख़ासी प्रभावित होती है। दीर्घकालिक असर के रूप में सामाजिक प्रगति बाधित होती है।

दरअसल, शिक्षकों की कमी का जीडीपी प्रतिशत के रूप में शिक्षा के निवेश से गहरा संबंध है। भारत में शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय जीडीपी के 3-4 प्रतिशत के आस-पास है, जोकि एनईपी 2020 की 6 प्रतिशत आवंटन की सिफारिश तथा वैश्विक औसत से कहीं कम है। कम निवेश सरकार द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा उन्हें बनाए रखने की क्षमता सीमित करता है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लक्ष्य पर सवालिया निशान उठना भी स्वाभाविक है। शिक्षकों की कमी का गंभीर मुद्दा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर ही निपटाया जा सकता है। समस्या की प्रकृति समझते हुए सरकार मजबूत एवं प्रभावी भर्ती रणनीतियां लागू करे, जिसमें महत्वाकांक्षी शिक्षकों के लिए छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, शैक्षणिक कौशल तथा विषय ज्ञान पर बल देने वाले व्यापक कार्यक्रम भी बराबर शामिल हों। योग्य शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थानीय समुदायों के समन्वित प्रयासों की भी महती आवश्यकता है। शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा सहायता में अपेक्षित निवेश करके भारत एक अधिक प्रभावी तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली बना सकता है, जो सभी छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसके साथ ही स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षकों व छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही एक अनुकूल शिक्षण वातावरण निर्मित होता है। जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, समस्या केवल भर्ती से नहीं सुलझ सकती। ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में तैनाती, प्रशिक्षण तथा संशोधन ज़रूरी हैं। एनईपी के अनुसार शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि सीखने की प्रेरणा देने वाले होने चाहिए। बच्चों की अपार क्षमताओं को दिशाज्ञान मिलना अत्यावश्यक है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही संभव होगा। आधारभूत ढांचा सशक्त हो एवं पर्याप्त संख्या में योग्य गुरु तनावरहित होकर कार्य करें तो शिक्षा में गुणवत्ता प्रतिभासित होना सुनिश्चित है।

प्रेरणा

मौन की गहराई में छिपा सत्य

मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके मौन में प्रकट होता है। बहुत बार हम यह मान बैठते हैं कि बोलना ही अभिव्यक्ति है, परंतु सच्ची अभिव्यक्ति तो तब होती है जब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही बात अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कॉल्विन कूलिज के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अत्यंत मितभाषी, संयमी और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। उन्हें जानने वाले कहते थे कि यदि किसी सभा में वे बोल दें तो वह दिन विशेष माना जाता था। वे अधिक बोलने से बचते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि मौन व्यक्ति को विवेकशील बनाता है और उसे अनावश्यक भ्रमों से दूर रखता है। उनकी पत्नी, ग्रेस कूलिज, अपने पति के इस स्वभाव से अक्सर परेशान रहा करती थीं। उन्हें लगता था कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर इतना शांत रहेगा तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कूलिज का स्वभाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर की स्थिरता का प्रतिबिंब था।

एक बार रविवार की सुबह दोनों पति-पत्नी चर्च गए। वहाँ पादरी ने “पाप” विषय पर लंबा प्रवचन दिया। चर्च समाप्त होने के बाद वे दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में पत्नी ने मुस्कराकर बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा —

“क्या आपने आज का प्रवचन सुना?”

कूलिज ने शांत स्वर में कहा — “हाँ।”

पत्नी ने सोचा कि शायद अब वे आगे कुछ कहेंगे, परंतु वे फिर मौन हो गए। कुछ क्षण के बाद उन्होंने दोबारा पूछा —

“तो बताइए, प्रवचन का विषय क्या था?”

कूलिज का उत्तर फिर भी संक्षिप्त था — “पाप।”

अब पत्नी कुछ चकित हुईं। उन्होंने तीसरी बार पूछा —

“ठीक है, लेकिन पादरी इस विषय में क्या कह रहे थे?”

कॉल्विन कूलिज ने उतनी ही सहजता से उत्तर दिया —

“वह इसके विरोध में बोल रहे थे।”

पत्नी कुछ क्षण स्तब्ध रहीं, फिर मुस्कराने लगीं। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पति का मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि गहरी समझ का प्रतीक है। वे कम बोलते हैं, पर जो कहते हैं, उसमें सारा सार छिपा होता है। उनके उत्तर में एक प्रकार की निश्चल स्पष्टता थी — कि जीवन का हर धर्म, हर प्रवचन, हर नीति आखिरकार एक ही बात कहती है: “पाप से दूर रहो।” इस एक वाक्य में उन्होंने पूरा उपदेश समेट दिया था।

कॉल्विन कूलिज का यह प्रसंग केवल हास्य नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सीख है। आज का मनुष्य शब्दों से भरा हुआ है — हर व्यक्ति बोलना चाहता है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। इस निरंतर शोर के युग में मौन सबसे दुर्लभ वस्तु बन गया है। परंतु वही मौन मनुष्य को भीतर से संतुलित करता है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन शांत होता है और विचारों की तरंगें स्थिर हो जाती हैं। कूलिज समझते थे कि अनावश्यक बोलना मनुष्य को अपने ही शब्दों का कैदी बना देता है। जब हम लगातार बोलते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराई को सुन नहीं पाते। मौन हमें अपने भीतर झाँकने की शक्ति देता है। यह हमें यह सिखाता है कि विचारों का मूल्य शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी सार्थकता से होता है। उनकी पत्नी ने उस दिन महसूस किया कि मौन कभी-कभी हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने मन और कर्मों को भी नियंत्रित कर सकता है। यही आत्मसंयम किसी व्यक्ति को महान बनाता है।

कॉल्विन कूलिज का मौन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी आत्मशक्ति का स्वर था। वे यह जानते थे कि मौन व्यक्ति कभी अधीर नहीं होता, वह प्रतीक्षा करना जानता है। और जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही सही समय पर सही निर्णय भी ले सकता है। यही कारण था कि उनका शासनकाल अत्यंत स्थिर और शांतिपूर्ण माना जाता है।

आज जब दुनिया में हर व्यक्ति अपनी बात सबसे ऊँची आवाज़ में कहने की कोशिश कर रहा है, तब कूलिज हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि शांति में है। मौन व्यक्ति भले ही कुछ न कहे, पर उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। मौन की गहराई में जो सत्य छिपा है, वह शब्दों के पार है। जब मनुष्य उस मौन को साध लेता है, तो उसे किसी प्रवचन की आवश्यकता नहीं रहती — क्योंकि तब वह स्वयं अपने भीतर ईश्वर की आवाज़ सुनने लगता है। और यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है — कि जो अपने भीतर मौन पा लेता है, वही संसार के शोर से मुक्त हो जाता है।

बदलाव एवं विकास की राह ताकता बिहार चुनाव

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र का यह महायज्ञ आरंभ हो चुका है, जिसमें करोड़ों मतदाता दो चरणों में दिनांक 6 और 11 नवंबर को अपने मत के माध्यम से राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार और व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। बिहार लंबे समय से जिस पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, उससे मुक्ति का यह अवसर है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ बिहार में नई सरकार की तस्वीर सामने होगी, लेकिन राज्य में सियासत जिस तरह आकार ले रही है, मतदान तक कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह धरती कभी बुद्ध की करुणा और चाणक्य की नीति की जननी रही है, लेकिन आज वही बिहार कानून व्यवस्था की विफलताओं, जातिवाद की जंजीरों और विकासहीनता की विवशताओं से जूझ रहा है। सड़कें टूटी हैं, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, चिकित्सा तंत्र कमजोर है, और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपनी मातृभूमि छोड़ने को विवश हैं। ऐसे में यह चुनाव एक सामाजिक जागृति का अवसर भी है, जब मतदाता केवल चेहरे नहीं, चरित्र और चिंतन को वोट देंगे। राजनीतिक दल अपनी-अपनी घोषणाओं, वादों और दृष्टि-पत्रों के साथ मैदान में हैं। कोई “नया बिहार” बनाने का नारा दे रहा है, तो कोई “विकसित बिहार” का। लेकिन सवाल यह है कि क्या घोषणाओं से बिहार का भाग्य बदलेगा, या फिर यह चुनाव भी परंपरागत नारों और जातीय समीकरणों के हवाले हो जाएगा? यह समय है कि जनता दलों से नहीं, दिशा से जुड़ाव करे; नारे से नहीं, नैतिकता से संवाद करे। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार बिहार का चेहरा बने हुए हैं और यह चुनाव भी अलग होता नहीं दिख रहा। मूल सवाल यही है कि क्या नीतीश को एक और मौका जनता देगी? राज्य में एनडीए ने उन्हें आगे कर रखा है और महागठबंधन से सीधी टक्कर मिल रही है। 2005 से नीतीश कुमार बीच के कुछ समय को छोड़ कर सत्ता पर काबिज हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार शपथ ली और कई बार पाला बदला। गठबंधन के साथी बदलते रहने और कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री वही बने। इसके पीछे उनकी अपनी ‘सुशासन बाबू’ की छवि भी है, लेकिन अब इसे चुनौती मिल रही है। पहली बार नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं, कानून-व्यवस्था का मामला भी चिंता बढ़ाने वाला है। हाल के महीनों में पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका और हॉस्पिटल में घुसकर गैंगस्टर की हत्या ने सरकार की परेशानी बढ़ाई। नीतीश और भाजपा ने लालू-राबड़ी यादव के कार्यकाल को हर चुनाव में जंगलराज की तरह पेश किया, पर अब सवाल विपक्षी दल पूछ रहे हैं। यह चुनाव ऐसे अनेक सवालों के घेरे में है।

विकास पर जोर के बावजूद बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक है। हर पार्टी की चुनावी रणनीति समुदाय आधारित लामबंदी से गहराई से प्रभावित है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए ओर महागबंधन सीट बंटवारे की बातचीत में उलझे हैं। 243 विधानसभा सीटों में से गठबंधन में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किसे कोन-सी सीट मिलेगी, यह विवाद का विषय है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ था- इस बार समीकरण में प्रशांत किशोर की जन सुराज भी है, जो भ्रष्टाचार ओर पलायन का मुद्दा उठाए हुए हैं। कुछ और भी नये राजनीतिक दल मैंदान में हैं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ता की है। आए दिन होने वाली अपराध घटनाएं और अराजकता ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। एक ऐसा शासन चाहिए जो भयमुक्त समाज दे सके, जहां नागरिक सुरक्षित महसूस करें, जहां अपराध पर अंकुश हो और न्याय त्वरित मिले। विकास तभी संभव है जब विश्वास का माहौल बने।

बिहार की राजनीति में इस बार कई नए दल और कई पुराने चेहरे नए दल के साथ दिखाई देने वाले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ‘जनसुराज’, तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नजर आने वाली है। ऐसे में सभी दल चुनावी जंग में ताल ठोकने को तैयार है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी अपना कितना दम दिखा पाती है? क्या प्रशांत किशार की पार्टी उनके दावे के अनुसार प्रदर्शन करती है या फुस्स साबित होती है, वहीं, तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर तेजस्वी यादव को कितना झटका देते है। यह सब अब चुनाव के परिणाम पर तय होगा। साथ ही यह भी तय होगा कि कौन सी पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाती है कौन नहीं? यह चुनाव बिहार की आत्मा को झकझोरने वाला क्षण है। यहां की जनता अब सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सम्मानजनक जीवन चाहती है। यह चुनाव इस आकांक्षा का प्रतीक है। जो भी दल इस वास्तविकता को समझेगा, वही बिहार का भविष्य गढ़ पाएगा।

आज बिहार के मतदाता अधिक सजग एवं विवेकशील हैं। वे जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन से अधिक जरूरी है संस्कृति परिवर्तन, राजनीतिक शुचिता और प्रशासनिक जवाबदेही। यह चुनाव केवल विधानसभा की सीटें तय नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बिहार अपनी पुरानी परछाइयों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि बिहार में पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार, अराजकता की चर्चा होती रहती है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि राज्य का विकास, कानून व्यवस्था एवं रोजगार का मुद्दा भी पक्ष-विपक्ष के बीच एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। हालांकि पिछली सरकारों के दौर में बिहार बदहाली के दौर से काफी निकल चुका है और विगत दो दशक में यहां की स्थितियां काफी बदली है। इस बार बिहार चुनाव बदला-बदला होगा, इसकी आहट उन घोषणाओं से भी मिलती है, जो नीतीश सरकार ने की हैं।

अभियान

जय-विजय का पतन और भगवान के अवतार का रहस्य

भगवान शंकर एक बार कैलाश पर पार्वती जी को श्रीहरि के दिव्य चरित्र का वर्णन कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि माता पार्वती किसी भी रहस्य से वंचित रहें, इसलिए उन्होंने जय-विजय के पतन और भगवान के अवतार का वह अद्भुत प्रसंग सुनाया, जिसमें भक्ति, अहंकार और मोक्ष तीनों के रहस्य छिपे हैं।

भोलेनाथ ने बताया कि जय और विजय, जो स्वयं श्रीहरि विष्णु के द्वारपाल थे, अहंकार के आवरण में इतने अंधे हो गए कि उन्हें साधु-संतों की महिमा भी दिखाई नहीं दी। वे नहीं समझ सके कि जिन सनकादि मुनियों को वे रोक रहे हैं, वे कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मस्वरूप संत हैं, जिनके चरणों की धूल से ही संसार के पाप मिट जाते हैं।

संतों का अपमान करना स्वयं भगवान के द्वार को ठुकराने के समान है। इसीलिए कहा गया है —

“जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द।
मरने ही ते पाइए, पूर्ण परमानन्द॥”

और आगे —

“राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोये।
जो सुख साधु संग महिं, सो बैकुण्ठ न होये॥”

अर्थात जो सुख संत-संग में है, वह बैकुण्ठ के सुख से भी बढ़कर है। किंतु जय-विजय यह सत्य न पहचान सके। उन्हें भ्रम हुआ

कि मुनि बैकुण्ठ में प्रवेश चाहते हैं, जबकि वे तो स्वयं ब्रह्म-स्वरूप हैं। जब मुनियों ने देखा कि द्वारपाल अहंकार में डूबे हुए हैं, तब उन्होंने कहा —

“हे दुष्टों! तुम्हारा स्वभाव राक्षसों के समान है। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने द्वार पर रखा, किंतु तुमने उस पद की मर्यादा भुला दी। अब तीन जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में जाना होगा।”

यह शाप सुनते ही जय और विजय का सारा गर्व भस्म हो गया। वे मुनियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा माँगने लगे। साधु तो करुणामय होते हैं — उन्होंने कहा, “तुम राक्षस बनोगे, पर हर जन्म में स्वयं भगवान अवतरित होकर तुम्हारा उद्धार करेंगे।” इस प्रकार शाप ही वरदान बन गया।

पहले जन्म में जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दोनों ने ब्रह्माण्ड में आतंक फैलाया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया।

दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। उनके पराक्रम से देवता तक भयभीत हो गए। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और अपने अहंकार से विनाश बुला लिया। भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर दोनों का संहार किया —

“भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान।
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥”

तीसरे जन्म में वही आत्माएँ शिशुपाल और दंतवक्र बनीं, जिनका उद्धार भगवान श्रीकृष्ण ने किया। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय द्वारपालों को तीन बार जन्म देकर, अपने ही हाथों से मुक्ति प्रदान की।

यहाँ महादेव ने एक गहरा रहस्य बताया — “देवि, यह मत मानो कि भगवान के हाथों मृत्यु मिलते ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति तभी होती है जब जीव मानव देह पाकर किसी पूर्ण संत की शरण में जाता है और ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता है। संत ही वह सेतु हैं जो जीव को भीतर स्थित परमात्मा तक पहुँचाते हैं। जब मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर की ज्योति को अनुभव करने लगता है, तभी जन्म-मरण का बंधन टूटता है।”

जय-विजय की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार ही पतन का मूल कारण है। साधु-संतों और गुरु का अपमान ही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। बैकुण्ठ के द्वार पर रहकर भी यदि विनम्रता न हो, तो वह स्थान भी नरक बन जाता है, और नरक में रहकर भी यदि साधु-संग मिल जाए, तो वही बैकुण्ठ बन जाता है।

भगवान शंकर ने कहा — “हे उमा! देखो, प्रभु की लीला अचिंत्य है। वे अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही अवतार लेते हैं। जय और विजय के अहंकार ने संसार को यह दिखाया कि भगवान की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने अपने ही द्वारपालों को तीन बार जन्म देकर मोक्ष प्रदान किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का न्याय और दया दोनों अनंत हैं।”

पार्वती जी भाव-विभोर होकर सुनती रहीं। उनके नेत्रों में करुणा और भक्ति झिलमिला उठी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा — “नाथ! प्रभु के अवतार का यह कारण तो आपने बताया, अब कृपा करके यह भी बताइए कि उनके अन्य अवतारों के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं।”

महादेव मुस्कराए और बोले — “देवि, प्रभु का प्रत्येक अवतार धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। अगली कथा में मैं तुम्हें यह रहस्य विस्तार से बताऊँगा।”

इतना कहकर भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और श्रीहरि का नाम जपने लगीं। उस क्षण समस्त दिशाओं में “जय श्रीराम” और “हरि बोल” के पवित्र स्वर गूँज उठे, और कैलाश पर्वत भक्ति की दिव्य आभा से आलोकित हो गया।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – उत्तर गुजरात

गुजरात ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
- गुजरात आज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देश का नेतृत्व करने को तैयार
- देश में सौर ऊर्जा की नींव उत्तर गुजरात में रखी गई थी
- गुजरात ने सौर ऊर्जा के साथ ही पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी :-
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्रांति आ रही है
- देश में उत्पन्न होने वाली कुल नवीकरणीय ऊर्जा में से एक तिहाई ऊर्जा अकेले गुजरात उत्पन्न करता है

सेमिनार में राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री कनुभाई देसाई और कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति

समारोह में ऊर्जा क्षेत्र के 22 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

(जीएनएस)। गांधीनगर, : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत गुरुवार को मेहसाणा में ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर आयोजित सेमिनार और अवॉर्ड समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, तब 100-200 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जबकि आज पचास हजार करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि के एमओयू हो रहे हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में आए बड़े परिवर्तन का दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में पंचामृत यानी जल शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति और रक्षा शक्ति पर आधारित शासन का नया मॉडल विकसित किया था। आज गुजरात देश का ग्रीन एनर्जी हब बनने जा रहा है। गुजरात आज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में देश का नेतृत्व करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दुनिया जब ऊर्जा का विकल्प तलाश रही थी, तब प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर जोर देकर उत्तर गुजरात के चारणका में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया था। देश में सौर ऊर्जा की नींव उत्तर गुजरात की भूमि में रखी गई थी। ऐसे प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्री मोदी को नीतिगत नेतृत्व के लिए 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018' पुरस्कार से नवाजा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विशेष नीति बनाई है। वाइब्रेंट समिट में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि गुजरात ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई पीएम सूर्य घर जैसी योजना के कार्यान्वयन में गुजरात अग्रणी रहा है। पूरे गुजरात में तीन लाख से अधिक सौलर रूफटॉप पैनल्स लगाए गए हैं। जिसमें मोढेरा और बनासकांठा के मशाली जैसे सौ फीसदी सोलर संचालित गांव उत्तर गुजरात में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के साथ-साथ गुजरात ने पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ के खावड़ा में कार्यरत हो रहा है। 2001 में नवीकरणीय ऊर्जा से केवल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 31,403 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर

बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र दिया है। आगामी वर्षों में भारत की ऊर्जा जरूरत में वृद्धि होगी, तब नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली हासिल कर इस ऊर्जा खपत की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने को तैयार है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी

सेमिनार में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं, उससे देश में ऊर्जा क्रांति आ रही है। आज वाइब्रेंट गुजरात में ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में अंधकार छाया रहता था, जबकि आज देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि गुजरात देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में भी गुजरात सबसे आगे है। देश में उत्पन्न होने वाली कुल नवीकरणीय ऊर्जा में से एक तिहाई ऊर्जा-बिजली अकेला गुजरात उत्पन्न करता है।

देश ही नहीं, संभवतः दुनिया के पहले सोलर विलेज मोढेरा का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब इस विश्वास के साथ सूर्य घर योजना की बात की थी कि हर घर बिजली पैदा करेगा, तब लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन दूरदर्शी नेता वही होता है, जो अगले 20-25 वर्षों का भविष्य देख सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जो समय से पहले ही हासिल हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य है।

राज्य के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर ने स्वागत भाषण में कहा कि वाइब्रेंट गुजरात का यह कार्यक्रम ऊर्जा, उद्यम और उन्नति की यात्रा है। यह गुजरात का ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम है। गुजरात की ऊर्जा यात्रा में नए ऊर्जा स्रोत हमारे भविष्य को और अधिक आसान और ऊर्जावान बनाएंगे।

इस सेमिनार में टोरेन्ट कंपनी के प्रबंधन निदेशक श्री जिनल मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा का विजन दिया है। भारत सरकार ने इस विजन के अनुरूप विभिन्न योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनमें गुजरात एक अग्रणी राज्य है।

आईआईटी-गांधीनगर के निदेशक प्रो. रजत मूना ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी।

अवाडा समूह के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह ने 'ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत उद्यमिता और निवेशक' विषय पर विस्तार से रोशनी डाली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री और महानुभावों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की नीति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संकलन वाली पुस्तकों का विमोचन किया। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के गुजरात के प्रयासों की गाथा दर्शाने वाली फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

इस मौके पर ऊर्जा क्षेत्र के 22 एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले तथा क्लीन-ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री गणपतभाई पटेल सहित अन्य लोगों तथा संस्थानों और कंपनियों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। सेमिनार में राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री कनुभाई देसाई, कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, स्थानीय सांसद और विधायकगण, ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के अग्रणी और उद्योगपतियों सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस – उत्तर गुजरात मेहसाणा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन की मुलाकात बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पिछले 11 वर्षों में भारत ने 90 से अधिक उपक्रमों की सफलता प्राप्त की है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने वन टु वन बैठक आयोजित कर इसरो तथा अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की। डॉ. नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा तथा निरंतर मार्गदर्शन से इसरो ने पिछले 11 वर्षों में 90 से अधिक उपग्रहों की सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने इसरो की इस उपलब्धि के लिए डॉ. नारायणन को अभिनंदन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी अवसर दिए जाने की प्रशंसा की।

गुजरात में इसरो को आवश्यक भूमि के प्रस्ताव के विषय में भी मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का पॉजिटिव अप्रोच दर्शाया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती भी उपस्थित रहे।

विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष श्री जोहान्स जुट ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ की वन टू वन बैठक

गुजरात के व्यापारियों और उद्यमियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए विश्व बैंक की उत्सुकता दिखाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) मेहसाणा के खेरवा गांव में आयोजित हो रही है।

वीजीआरसी के पहले दिन गुरुवार को वन टू वन बैठकों का दौर चला, जिसमें दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री जोहान्स जुट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक की।

उन्होंने गुजरात के व्यापारियों और उद्यमियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए विश्व बैंक की उत्सुकता दर्शायी। उन्होंने गुजरातियों के व्यापार कौशल और बाजार-व्यवसाय क्षमताओं की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्बन क्रेडिट लिंक फाइनेंस प्रोडक्ट के जरिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की नई दिशा खुल सकती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीजीआरसी की प्रदर्शनी में विश्व बैंक द्वारा लगाए गए स्टॉल में कृषि क्षेत्र के

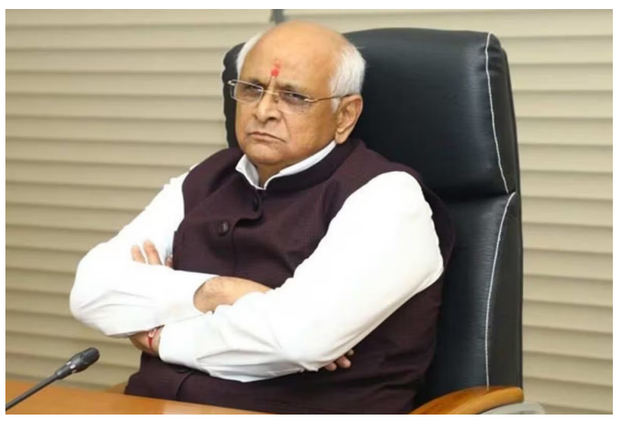

लिए फाइनेंस किए गए राज्यों और राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को दिखाने के लिए उनकी सराहना की।

उन्होंने ऐसी सर्वोत्तम प्रथाओं को गुजरात के साथ साझा करने का अनुरोध भी किया। श्री पटेल ने इस बात पर भी चर्चा की कि एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) जैसे उभरते क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं को किस प्रकार विश्व बैंक के सहयोग से गुजरात में उपयोग में लिया जा सकता है। इस वन टू वन बैठक में मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह और सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन – एकता नगर का किया दौरा

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया।

श्री सोमन्ना ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोमन्ना ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025-26 में गुजरात को 17,155 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2009 -14 के आवंटन के मुकाबले 29 गुना है। वर्ष 2014 से अभी तक गुजरात में 2739 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया तथा 3,144 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत किया गया है। गुजरात राज्य में 87 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर 97 लिफ्टों और 50 एस्कलेटरों का निर्माण किया गया है, साथ ही 335 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस समय गुजरात राज्य में चार वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एकता नगर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में रेलवे सुविधाओं को आधुनिक स्तर तक पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री के "विकसित भारत 2047" के विज़न में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एकता नगर स्टेशन पर निरीक्षण से पहले माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी ने आज वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ सूरत-एकता नगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। उन्होंने मंडल के ट्रैक सेफ्टी एवं परिचालन दक्षता के साथ चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने साबरमती हाई स्पीड रेल (HSR) स्टेशन का निरीक्षण किया

(जीएनएस)। माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज 09.10.2025 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती हाई स्पीड रेल (HSR) स्टेशन का निरीक्षण किया। यह स्टेशन देश के पहले मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन परियोजना) का एक महत्वपूर्ण टर्मिनल है जिसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

साबरमती हाई स्पीड स्टेशन को एक विश्व-स्तरीय मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ भारतीय रेल, हाई स्पीड रेल (HSR), मेट्रो रेल तथा बस रैपिड ट्रांजिट रूट (BRT) का सहज एकीकरण सुनिश्चित किया गया है। इस बहु-मॉडल कनेक्टिविटी से यात्रियों को एक ही परिसर में विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच आसान और त्वरित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

इस स्टेशन में A बिल्डिंग में 9 फ्लोर एवं B बिल्डिंग 8 हैं,तथा 1400 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है।

जिनमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएँ जैसे वेटिंग लाउंज, टिकटिंग जोन, कॉनकोर्स एरिया, प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, एलिवेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, रूफ प्लाज़ा, प्लेटफॉर्म क्षेत्र तथा लैंडस्केपिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन परिसर को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

इस अवसर पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अधिकारियों ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति, नवीनतम तकनीकी नवाचारों, निर्माण प्रगति एवं भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी।

साबरमती HSR स्टेशन के शुरू होने से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार होगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास, औद्योगिक गतिविधियों और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद मण्डल का दौरा किया

(जीएनएस)। गुजरात में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने हेतु दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

वडनगर स्टेशन, हाई स्पीड रेलवे (HSR) साबरमती स्टेशन और डिपो का किया निरीक्षण

माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज 09 अक्टूबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का दौरा किया। महेसाणा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में भाग लिया।

माननीय रेल मंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान अपने भाषण में कहा कि रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और ग्रीन लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत खुशी होती है जब रेलवे के नए-नए प्रोजेक्ट्स देशभर में शुरू होते हैं। गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और उसका बहुत लाभ देश को मिल रहा है। जहाँ किसी कंटेनर ट्रेन को

आने में 30-30 घंटे लगते थे, आज वहाँ 10-11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुँच जाती है। आज फ्रेट कॉरिडोर पर डेली करीब-करीब 400 गाड़ियाँ चल रही हैं तथा पिछले 11 वर्षों में गुजरात में 2,764 किमी रेलवे ट्रैक बने हैं। जो डेनमार्क के कुल रेल नेटवर्क के बराबर ट्रैक गुजरात में 11 वर्षों में बने। गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट 1 लाख 46 हजार करोड़ है।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान गुजरात में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुल 12,877.35 करोड़ के दो महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहला समझौता भारतीय रेल (पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मण्डल) और उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते के तहत रेलवे और गैर-रेलवे भूमि पर गति शक्ति मल्टीकार्गो टर्मिनल, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये परियोजनाएँ गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स के अनुरूप होंगी। इसके अलावा, माल परिवहन से संबंधित डेटा का नियमित आदान-प्रदान गुजरात लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निर्णय और भी सटीक और प्रभावी बन सकेंगे।

दूसरा समझौता भारतीय रेल और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) के बीच हुआ। इसके तहत राज्य के प्रमुख 87 रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन हब्स में रेल और बस सेवाओं का एकीकृत संचालन होगा, जिससे यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित होगी। इन हब्स में आधुनिक सुविधाएँ, लॉजिस्टिक्स समन्वय केंद्र और यात्री सेवाओं का समेकन होगा, जिससे राज्य में आवागमन और माल परिवहन दोनों में तेजी और दक्षता आएगी।

अपने दौरे के दौरान श्री वैष्णव ने वडनगर स्टेशन का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने यात्री सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया तथा इस स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में चर्चा की। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की तथा उनकी ट्रेनों की मांग पर भी विचार-विमर्श किया।

माननीय रेल मंत्री श्री जी ने साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया एवं स्टेशन के मॉडल का अवलोकन किया तथा साबरमती हाई स्पीड रेल स्टेशन एवं हाई स्पीड रेल डिपो का विस्तृत निरीक्षण किया और मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्हें NHSRCL के अधिकारियों द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से परियोजना में किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों और नवीनतम प्रगति की जानकारी दी गई।

निरीक्षण के दौरान माननीय रेल मंत्री जी के साथ श्री विवेक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे; श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद; प्रमुखाध्यक्ष पश्चिम रेलवे मुख्यालय एवं अहमदाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य रेल सोलापुर मंडल ने स्वच्छता पखवाड़े में दिखाई मिसाल

(जीएनएस)। सोलापुर। मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर रेलवे परिसर और पटरियों को स्वच्छ बनाए रखने में उत्कृष्ट पहल की। 7 और 8 अक्टूबर को मंडल ने क्रमशः "स्वच्छ पटरी" और "स्वच्छ परिसर" पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक सफाई अभियान आयोजित किया। यह पहल न केवल रेल कर्मचारियों बल्कि यात्रियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। 7 अक्टूबर को आयोजित "स्वच्छ पटरी" अभियान में रेलवे पटरियों और आसपास के क्षेत्रों में बिखरी अवांछित वनस्पति, झाड़ियाँ, घास और कचरा हटाने पर जोर दिया गया। प्रमुख क्षेत्रों में बबलाद-कलबुर्गि-हिरेनंदुरु खंड, कलबुर्गि यार्ड, पंढरपुर खंड और सोलापुर स्टेशन यार्ड शामिल थे। सफाई टीमों ने पटरियों के किनारे गहन निरीक्षण कर अवांछित सामग्री हटाई और ट्रेनों के परिचालन क्षेत्र को सुरक्षित बनाया।

8 अक्टूबर को "स्वच्छ परिसर" के

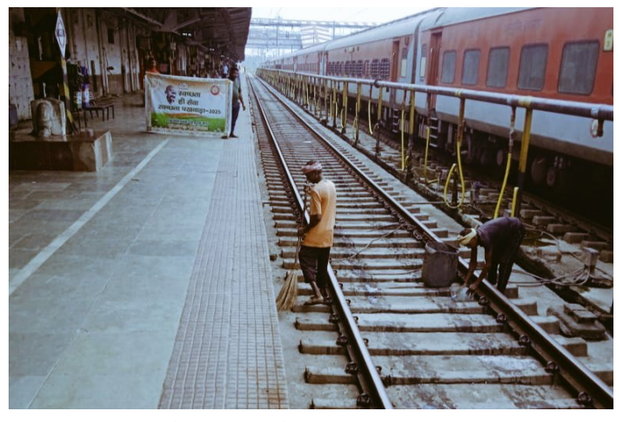

अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों, विश्राम कक्षों, प्रतीक्षालय, विश्राम गृह और छात्रावास की सफाई की गई। सोलापुर की रेलवे कॉलोनियाँ, एसी वेटिंग हॉल, कलबुरगि व पंढरपुर के कॉलोनी एवं रनिंग रूम, लातूर वाडी और कुर्डुवाडी की कॉलोनियों को विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों ने परिसर के हर कोने की सफाई सुनिश्चित करते हुए कार्यस्थलों और आवासीय क्षेत्रों को साफ-सुथरा बनाया।

मंडल प्रबंधन ने बताया कि इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से सोलापुर मंडल ने "स्वच्छ रेल - स्वच्छ भारत" मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस पहल ने सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया और रेलवे परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

झारखंड में बालू और लघु खनिज के अलॉटमेंट पर रोक बनी रहेगी, पेसा नियमावली लागू होने तक नहीं मिलेगा

(जीएनएस)। रांची। झारखंड में बालू और लघु खनिज के अलॉटमेंट पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार पेसा (The Panchayat Extension to Scheduled Areas - PESA) नियमावली लागू नहीं करती, तब तक इस रोक को हटाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह निर्णय आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने 9 सितंबर 2025 को पारित अपने आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि नियमावली की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान लघु खनिज और बालू के आवंटन पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाया जाए। अदालत ने सरकार के आग्रह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मामला संवैधानिक जनादेश से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है।

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालतो ने कहा कि सरकार पिछले डेढ़ साल से इस नियमावली को लागू करने में देरी कर रही है। उन्होंने बताया कि मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। उनका तर्क था कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरत रही है, जबकि यह मामला सीधा आदिवासी अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

क्या था 9 सितंबर का फैसला?

झारखंड हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को दिए आदेश में कहा था कि सरकार को पेसा नियमावली के गठन और अधिसूचना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य को 13 माह से अधिक का समय पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए अब किसी भी तरह की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया था कि दो सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष लाया जाए ताकि निर्णय का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके।

अवमानना याचिका की पृष्ठभूमि

इस मामले की शुरुआत जुलाई 2024 में तब हुई जब हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश के बावजूद सरकार ने अब तक नियमावली लागू नहीं की। इसी कारण अवमानना याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार, कोर्ट ने पहले भी पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और यह टिप्पणी की थी कि "हमारे आदेशों को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह किसी व्यक्तिगत मुद्दे से नहीं बल्कि संविधान के निर्देशों से जुड़ा मामला है।"

पेसा नियमावली क्यों है महत्वपूर्ण?

पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है और उन्हें स्थानीय संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन और खनिजों पर नियंत्रण का अधिकार देता है। यह नियमावली लागू होने के बाद ही राज्य सरकार कानूनी रूप से लघु खनिज, बालू और अन्य संसाधनों का आवंटन कर सकेगी। इसलिए जब तक यह नियमावली अधिसूचित नहीं होती, तब तक अदालत ने इन संसाधनों के किसी भी प्रकार के आवंटन पर रोक जारी रखी है।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद झारखंड सरकार पर नियमावली को जल्द लागू करने का दबाव और बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें 30 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का कितना पालन किया है या नहीं।

सीजेआई पर हमला: वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर (71) की मेंबरशिप तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी। SCBA ने कहा कि वकील का यह कृत्य पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।

CJI बीआर गवई ने कहा कि 6 अक्टूबर की घटना से वह और उनके साथी जज हैरान थे, लेकिन अब वह इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। जस्टिस उज्जल भुइयां ने घटना को सुप्रीम कोर्ट के अपमान के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है। बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि CJI गवई ने व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया था।

घटना का संक्षेप इस प्रकार है: 6 अक्टूबर को राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता CJI तक नहीं पहुँच सका। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने वकील को तत्काल नियंत्रित कर बाहर किया। घटना के समय CJI की बेंच किसी मामले की सुनवाई कर रही थी। राकेश किशोर ने नारे भी लगाए, जिसमें उन्होंने कहा, "सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।"

SCBA और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस बात को स्पष्ट करती है कि न्यायपालिका की गरिमा और अदालत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। घटना ने वकीलों और नागरिकों दोनों को यह संदेश दिया कि कोर्ट में असभ्य या हिंसक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के छह आर्थिक क्षेत्रों के 'क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान' का अनावरण किया

- छह क्षेत्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत 500 से अधिक परियोजनाओं में 15 लाख करोड़ रुपए (200 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक) से अधिक के सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश का आयोजन
- मुख्यमंत्री की गुजरात के क्षेत्रीय आर्थिक विकास से 'विकसित गुजरात, विकसित भारत' साकार करने की मंशा
- छह क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटवर्ती सौराष्ट्र तथा सूरत शामिल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने एवं विकसित भारत@2047 के विजन में अग्रसर रहने के दृढ़ संकल्प के साथ गुरुवार को उत्तर गुजरात के मेहसाणा में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' (वीजीआरसी) श्रृंखला की पहली कॉन्फ्रेंस में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। श्री पटेल ने राज्य के छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान) का अनावरण व लोकार्पण किया। गुजरात के ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। इन क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटवर्ती सौराष्ट्र तथा सूरत शामिल हैं।

ये मास्टर प्लान गुजरात के 33 जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 280 बिलियन डॉलर (वित्तीय वर्ष 2023) के कद से बढ़ाकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप हैं।

इन छह क्षेत्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत 500 से अधिक परियोजनाओं में 15 लाख करोड़ रुपए (200 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक) से अधिक के सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश का आयोजन किया गया है। आर्थिक वृद्धि का लाभ युवाओं को मिले; यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों के सहयोग से रीजनल स्किलिंग सेंटर्स तथा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (ग्रीन स्किल्स, ब्लू इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, एआई एकेडेमी आदि) स्थापित किए जाएंगे। इन योजनाओं तथा आर्थिक गतिविधियों द्वारा राज्य के युवाओं के लिए अनुमानित 280 लाख लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

ये क्षेत्रीय मास्टर प्लान्स प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को लक्ष्य बनाएंगे :

▸▸ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), बैटरी स्टोरेज, मरीन केमिकल्स, बायोलॉजिक्स, औद्योगिक सिरामिक्स तथा बायोफ्यूल जैसे भावी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जो मूल्यवर्धन तथा टेक्नोलॉजी आधारित नवीनता द्वारा संचालित होगा।

▸▸ सर्विस सेक्टर : 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 51 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। जीसीसी, क्लिनिकल रिसर्च, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन तथा बैंकिंग, फाइनैंशियल सर्विसेज व बीमा (बीएफएसआई) जैसी नई सेवाओं द्वारा कुशल नौकरियों में वृद्धि होगी।

▸▸ पर्यटन : मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, हेरिटेज टूरिज्म, इको-टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म तथा आध्यात्मिक व वेनलेस टूरिज्म जैसे नए मार्गों द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

▸▸ ब्लू इकोनॉमी : गुजरात के 2240 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर पोर्ट लॉजिस्टिक्स, शिप बिल्डिंग, फिश प्रोसेसिंग तथा निर्यात, समुद्री पर्यटन तथा मरीन इनोवेशन में निवेश द्वारा मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाया जाएगा और नई नौकरियों का सृजन होगा।

▸▸ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा टिकाऊ विकास : एग्रो प्रोसेसिंग एवं डेयरी उद्योग एग्रीटेक तथा उच्च मूल्य के उत्पादों (रेडी टु ईट फूड्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रोटीन सप्लिमेंट्स) पर ध्यान केन्द्रित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन लाया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सर्कुलर इकोनॉमी तथा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबिलिटी के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे।

इस विकास योजना के मूल में सुदृढ़ ढाँचागत सुविधाओं का विकास है। आगामी 22 वर्षों में कोस्टल रेलवे, हाईस्पीड अंतरराज्यीय रेल कॉरिडोर तथा सी-लिंक परियोजनाएँ लागू हंगी, एयरपोर्ट का विस्तार होगा और कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स के लिए नए कारगो टर्मिनल तथा कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई 2025 को गांधीनगर में गुजरात राज्य इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) के कार्यालय का उद्घाटन किया था। राज्य के क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विकास के जरिये विकसित गुजरात के विजन को साकार करने के लिए ग्रिट थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है।

ग्रिट डेटा आधारित नीतिगत निर्णयों एवं विकास योजनाओं को वैज्ञानिक पद्धति से तैयार कर विकसित भारत@2047 के विजन में गुजरात को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

इस अवसर पर श्री भूपेंद्र पटेल ने निवेशकों तथा उद्यमियों का आह्वान किया कि वे वाइब्रेंट गुजरात के विराट विकास की नींव में भागीदार बनें और निजी निवेश के नए अवसरों का लाभ लें।

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा वादा—हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने अब तक के सबसे बड़े चुनावी वादे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं।

पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों को केवल असुरक्षा और बेरोजगारी ही दी, विकास की बजाय प्रदेश की युवा शक्ति पलीता खा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो प्रत्येक परिवार के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो और हर घर में विकास की लहर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 14 नवंबर के बाद महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस जीत का जश्न हर घर में नौकरी और उद्योगों के माध्यम से मनाया जाएगा। उनका लक्ष्य बिहार में एजुकेशनल सिटी, आईटी पार्क, कृषि और डेयरी आधारित उद्योग स्थापित करना है, जिससे राज्य को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाया जा सके।

उनका संदेश स्पष्ट है कि सिर्फ वादे नहीं, बल्कि ठोस कार्य और रोजगार के अवसर के माध्यम से बिहार को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी।

करवा चौथ पर 25 हजार करोड़ के व्यापार का अनुमान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने करवा चौथ पर्व पर देशभर में करीब 25 हजार करोड़ रुपये के व्यापार होने का अनुमान जताया है। संगठन का कहना है कि इस त्यौहार के साथ पूरे देश में उत्सव का माहौल शुरू हो जाता है, जो दिवाली तक जारी रहता है। कैट का मानना है कि करवा चौथ प्रेम, समानता और परस्पर आदर का प्रतीक है, जहां पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे की खुशहाली के लिए व्रत रखते हैं, तभी यह पर्व अपने वास्तविक रूप में सार्थक होता है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने देशभर के व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे भी अपनी पत्नियों के सम्मान में करवा चौथ का व्रत रखें। उन्होंने बताया कि वे स्वयं पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से यह व्रत रख रहे हैं। खंडेलवाल ने कहा कि जिस प्रकार महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, उसी प्रकार पुरुषों को भी अपनी पत्नियों के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए व्रत रखना चाहिए। खंडेलवाल ने बताया कि करवा चौथ के मौके पर दिल्ली सहित देशभर के बाजारों में बड़ी तैयारियां की गई हैं। इस पर्व में पूजा की थाली, रोली-चावल की कटोरियां, चांद को जल अर्पित करने के लिए लोटा या गिलास और छलनी जैसी वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि होती है। ये सभी वस्तुएं अब भारत में निर्मित की जा रही हैं, जबकि पहले इनका अधिकांश उत्पादन चीन में होता था। इस बार देशी उत्पादों के उपयोग से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

पी चिदंबरम ने पीएम मोदी के 26/11 बयान को गलत बताया, कहा "संदर्भ तोड़ा-मरोड़ कर पेश किया गया"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गलत बताते हुए खेद जताया। चिदंबरम ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि यह पढ़कर निराशा हुई कि प्रधानमंत्री ने काल्पनिक बातें उनके नाम से जोड़ दीं और उनके विचारों को गलत तरीके से पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि मुंबई हमले के बाद भारतीय सेनाएं पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थीं और पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेके। पीएम ने सीधे चिदंबरम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके 30 सितंबर के इंटरव्यू का हवाला दिया।

चिदंबरम ने कहा कि उनके कथन को संदर्भ से बाहर पेश किया गया और उनका उद्देश्य किसी सरकार या व्यक्ति पर आरोप लगाने का नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल घटनाओं के ऐतिहासिक संदर्भ में अपनी बात रख रहे थे। यह बयान चिदंबरम ने 10 दिन बाद जारी किया और विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान के बाद 26/11 हमलों को लेकर राजनीति और सार्वजनिक बहस दोनों तेज हो सकती हैं, क्योंकि दोनों दल इस मामले में अपने-अपने रुख को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।

सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 2022 से पहले फ्रीज भ्रूण वालों को मिली राहत

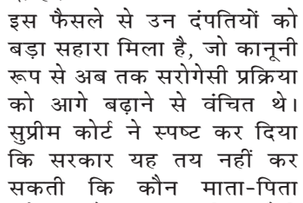

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे जनवरी 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत निर्धारित आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। यह फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन दंपतियों की याचिकाओं पर सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दंपती ने सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उनके पास फ्रीज भ्रूण थे या वे भ्रूण को सरोगेट मां में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थे, तो उनके ऊपर आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल क्लीनिक में जाने वाले जोड़े इस राहत के दायरे में नहीं आते।

कोर्ट ने कहा, "अगर सरोगेट बच्चा 2021 अधिनियम के पहले 10 महीनों में पैदा होता है, तो दंपति पर आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा।" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य दंपती जो इसी तरह की स्थिति में हैं, वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस राहत का लाभ उठा सकते हैं।

तीन दंपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि उनकी आयु महिला के लिए 50 वर्ष और पुरुष के लिए 55 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन उन्होंने 2021 के कानून लागू होने से पहले ही भ्रूण फ्रीज और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

सरोगेसी अधिनियम, 2021 के अनुसार, यह कानून 25 जनवरी 2022 से लागू हुआ। अधिनियम की धारा 4 (iii) (C) (I) में कहा गया है कि सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के लिए इच्छुक दंपती विवाहित होना चाहिए, महिला की आयु 23-50 वर्ष और पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को चुनौती देने वाले दंपतियों के पक्ष में राहत दी है।

इस फैसले से उन दंपतियों को बड़ा सहारा मिला है, जो कानूनी रूप से अब तक सरोगेसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से वंचित थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन माता-पिता बनेगा, और कानून की कसौटी पर दंपतियों को न्याय मिलने का मार्ग खुला है।

सीएम योगी का बुंदेलखंड दौरा: विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और विपक्ष पर तंज

(जीएनएस)। झांसी/जालौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बुंदेलखंड के अपने चार घंटे पच्चीस मिनट के दौरे में झांसी और जालौन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खेलकूद समारोहों में भाग लिया, खिलाड़ियों को सम्मानित किया और जालौन में 1,706 करोड़ रुपये की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।

सीएम योगी सुबह 10:55 बजे हेलीकॉप्टर से झांसी के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और वहीं से भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि झांसी की धरती रानी लक्ष्मीबाई के साहस और मेजर ध्यानचंद जैसी प्रतिभाओं का प्रतीक है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश माफिया और सौदेबाजी की जकड़ में था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय प्रदेश की छवि बीमारू प्रदेश जैसी बन चुकी थी, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सीएम ने खेलकूद को लेकर कहा कि हर गांव और शहर में स्टेडियम और खेल मैदान बन रहे हैं ताकि बच्चे स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनें। उनका संदेश था कि "जब हर बच्चा स्वस्थ होगा, तभी सशक्त प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।"

दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी जालौन पहुंचे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट भी वितरित की। उन्होंने कहा कि कालपी की ऐतिहासिक भूमि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है और अब 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के तहत जालौन को नई पहचान मिल रही है।

इस अवसर पर जालौन में 21 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की जनसभा आयोजित हुई। इससे पहले 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यहां सभा कर चुके थे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी, लूट और भेदभाव का बोलबाला था, लेकिन अब विकास, रोजगार और सुरक्षा की नीतियां मजबूती से लागू हो रही हैं।

इस दौरे के दौरान सीएम योगी ने न केवल विपक्ष पर निशाना साधा बल्कि बुंदेलखंड के बच्चों, युवाओं और ग्रामीणों के लिए खेल और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी व्यापक प्रदर्शन किया। उनका संदेश स्पष्ट था कि स्वस्थ बच्चे और सशक्त प्रदेश ही आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं।

यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव 2025: सपा ने घोषित किए अपने उम्मीदवार

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 2025 के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कुल पांच नाम जारी किए हैं, जिनमें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सपा ने वाराणसी-मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को उम्मीदवार बनाया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी ने इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉ. मान सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है।

सपा ने इस बार भी अपने पुराने मजबूत चेहरे मैदान में उतारे हैं। लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह पिछली बार विजेता रहे थे और उन्होंने विधान परिषद में पार्टी की मजबूती को कायम रखा था। पार्टी अब "पीडीए के नाम – एकजुट मतदान" के नारे के साथ संगठन को सक्रिय करते हुए चुनावी तैयारियों में जुट गई है।

वहीं, भाजपा ने अभी तक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। इसी बीच आयोग ने संबंधित जिलों में एआरओ और आरओ के तबादलों पर रोक लगा दी है और मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

इस चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों की रणनीतियां और प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद राजनीय लड़ाई और अधिक रोमांचक होने की संभावना है।

डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पर पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के आरोप में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पायलट प्रशिक्षण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में की गई है। नियामक संस्था ने 26 सितंबर को कंपनी को नोटिस जारी किया था। डीजीसीए का आरोप है कि एयरलाइन ने श्रेणी 'सी' हवाई अड्डों पर प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग नहीं किया, जो नियमों के खिलाफ है। श्रेणी 'सी' हवाई अड्डे वे होते हैं जहां विमान संचालन की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं और पायलटों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इंडिगो ने कहा है कि वह डीजीसीए के आदेश को उपयुक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देने की तैयारी में है।

एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की सूचना आंतरिक संप्रेषण में देरी के कारण देर से साझा की गई।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इस जुर्माने से उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिगो ने यह भी दोहराया कि वह नियमों का पालन करती रहेगी और आवश्यक प्रशिक्षण मानकों को सुनिश्चित करेगी।

यह मामला इंडिगो के लिए एक सावधानीपूर्ण चेतावनी है, जिसमें पायलट प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों पर नियामक संस्था की सख्ती को दर्शाया गया है।